वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2006-07

(<u>हिन्दी</u>)

(1-4-2006 से 31-3-2007)

पचांयती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला .171009

अध्याय–1

परिचय

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनिययम, 1952 के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें थी और उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात वर्ष 1954 में 466 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई जिनकी संख्या 1962 में बढ़कर 638 हो गई। एक नवम्बर 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया, परिणामस्वरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1695 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि इस राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने तथा नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्वेश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 दिनांक 15 नवम्बर, 1970 से लागू किया और सम्पूर्ण प्रदेश में दो–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य में न्यायिक कार्यों के लिए अलग से न्याय पंचायतें गठित थी परन्तु 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करके न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। उपरोक्त अधिनियम के वर्ष 1970 में लागू होने के पश्चात ग्राम सभा क्षेत्रों का समय–2 पर पुनर्गठन तथा विभाजन करके नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतें, 75 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें गठित है। वर्ष 2005–2006 नई ग्राम पचांयतों का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप पंचायतों की संख्या 3243 हुईं।

ग्राम पंचायतों की वर्ष 1952 से संख्या का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	वर्ष	ग्राम पचांयतों की संख्या
1	1952	280
2	1954	466
3	1966	1695
4	1972	2035
5	1978	2357
6	1985	2597
7	1991	2757
8	1995	2922
9	2000	3037
10	2005	3243

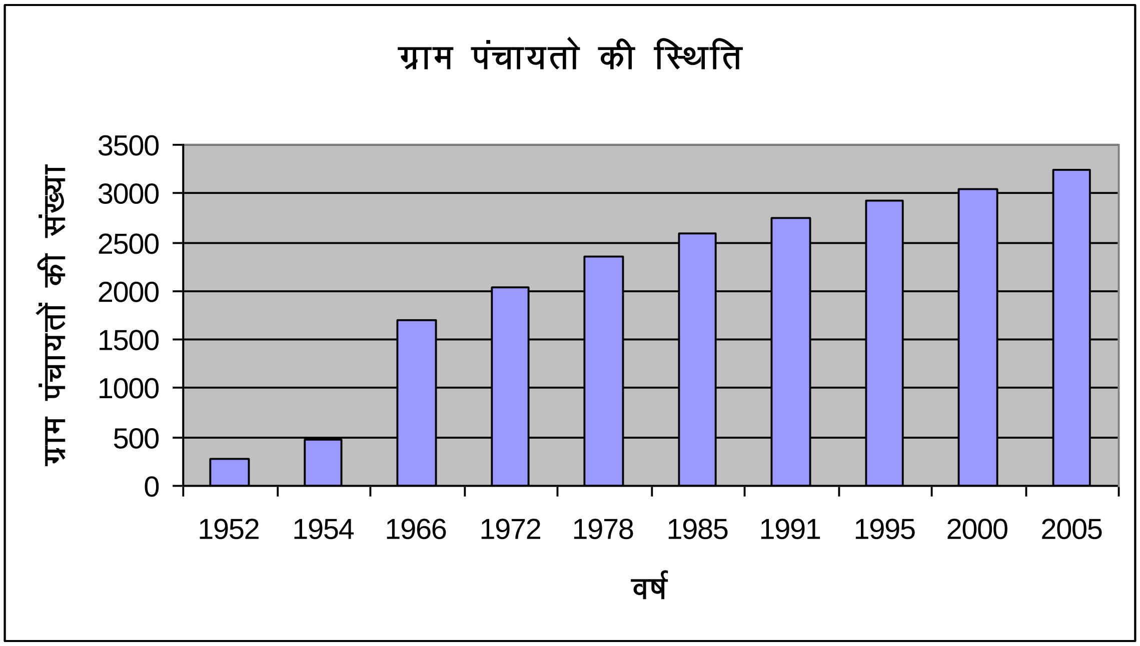

1. पंचायती राज अधिनियम को बनानाः

पंचायत से सम्बन्धित कानून को तिहतरवे संविधान संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 को 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना एवं निर्वाचनः

संवैधानिक प्रावधान तथा पंचायती राज अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली वर्ष 1995–96 में अपनाई गई।

- पंचायती राज संस्थाओं के पहले आम चुनाव दिसम्बर, 1995 में सम्पन्न हुए। पचांयतों ने 23 जनवरी, 1996 को कार्य प्रारम्भ किया तथा पचांयतों का पांच साल का कार्यकाल 22 जनवरी, 2001 को समाप्त हुआ।
- दूसरा आम चुनाव दिसम्बर, 2000 में हुआ तथा वर्तमान में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 23 जनवरी, 2001 से कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान पचांयतों का पांच साल का कार्यकाल 22 जनवरी, 2006 को समाप्त हुआ।
- तीसरे आम चुनाव दिसम्बर, 2005 में 3195 ग्राम पंचायतों, 73 पंचायत समितियों तथा 11 जिला परिषदों के सम्पन हुए जिन्होंने 23 जनवरी, 2006 से कार्य प्रारम्भ कर दिया। इनका कार्यकाल 22 जनवरी 2011 को समाप्त होगा।
- जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल की 28 ग्राम पंचायतों, जिला चम्बा के उपमण्डल पांगी की 16 ग्राम पंचायतों, 2 पंचायत समिति लाहौल और पांगी तथा जिला परिषद लाहौल व स्पिति के चुनाव राज्य की दूसरी पंचायती राज संस्थाओं के साथ नहीं हुए क्योंकि इनका कार्यकाल 23 जून 2006 को समाप्त होना था। अतः इन संस्थाओं के चुनाव 23 जून 2006 को करवाये गये थे।
- जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों जाबन, नम्होंग (विकास खण्ड आनी) तथा करजां व सोयल (विकास खण्ड नग्गर), के चुनाव भी नहीं हुए क्योंकि इनका

कार्यकाल 8 फरवरी 2007 को समाप्त होना था। अतः इन पंचायतों के चुनाव 13 जनवरी 2007 को करवाये गये थे।

3. पंचायती राज अधिनियम तथा नियमः—

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित निम्नलिखिति पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों द्वारा संचालित किया जाता हैः—

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994
2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997
3. हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002

4. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आरक्षणः

संवैधानिक प्रावधान के दृष्टिगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सदस्यों तथा अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा पिछड़ा वर्ग के लिए ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यो ंके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान कार्यकाल में पचांयतों में आरक्षण का विवरण निम्न है:

विवरण	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद		जनजाति के लिए आरक्षित पद		पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्ष्जित पद		सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद	महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		
ग्राम पंचायत के सदस्य	**19411**	**3320**	**1961**	**604**	**382**	-	-	**5125**	**7468**
पचांयत समिति के सदस्य	**1676**	**261**	**155**	**69**	**36**	**76**	**52**	**334**	**557**
जिला परिषद के सदस्य	**251**	**40**	**24**	**11**	**8**	**13**	**9**	**45**	**86**
प्रधान ग्राम पचांयत	**3243**	**528**	**286**	**122**	**68**	**151**	**93**	**662**	**1109**
अध्यक्ष पंचायत समिति	**75**	**11**	**7**	**4**	**3**	**4**	**3**	**16**	**29**
अध्यक्ष जिला परिषद	**12**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	-	**2**	**5**

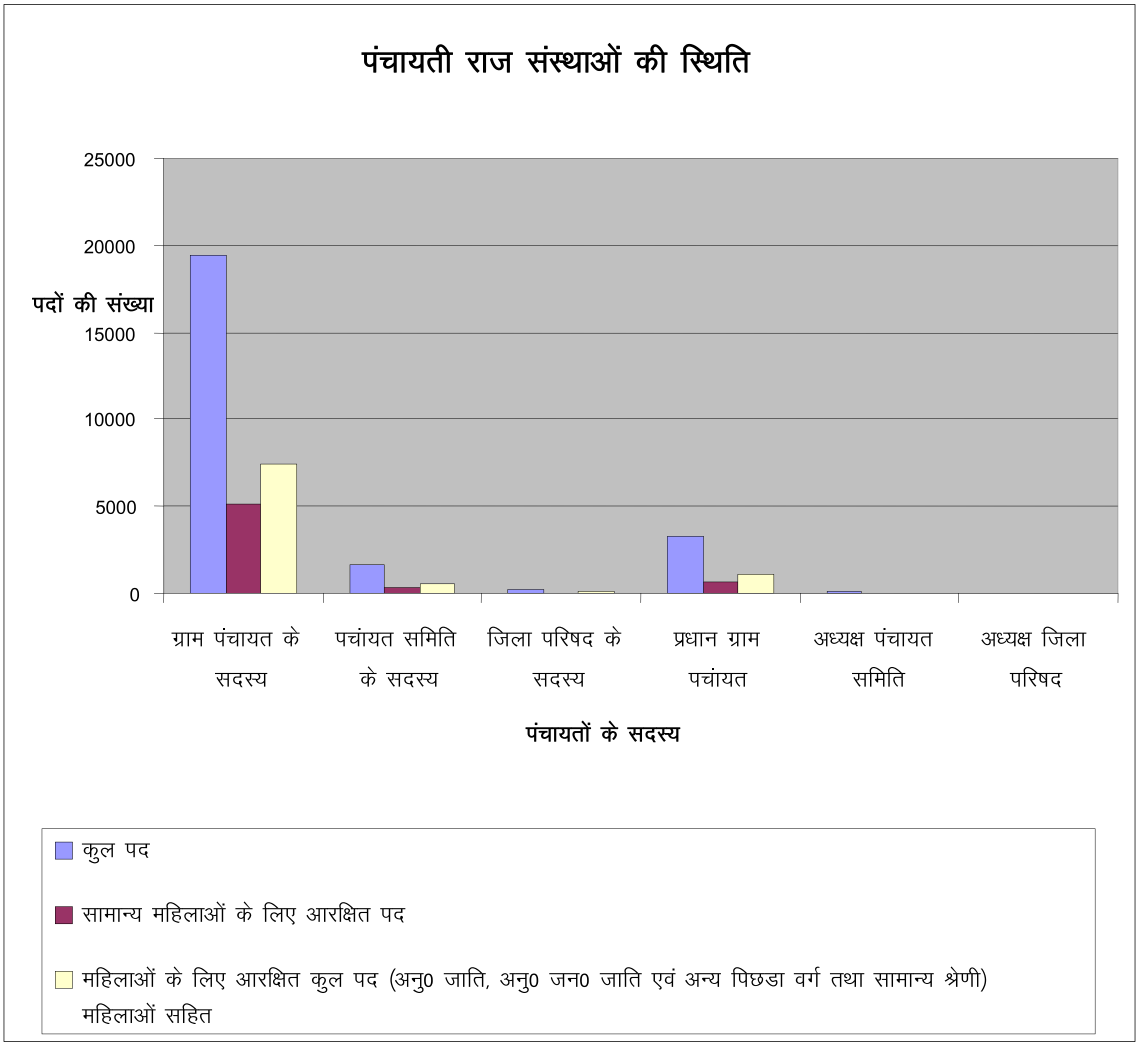

पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति
पदों की संख्या
25000
20000
15000
10000
5000
0
ग्राम पंचायत के सदस्य
पचांयत समिति के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
प्रधान ग्राम पचांयत
अध्यक्ष पंचायत समिति
अध्यक्ष जिला परिषद
पंचायतों के सदस्य
कुल पद
सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

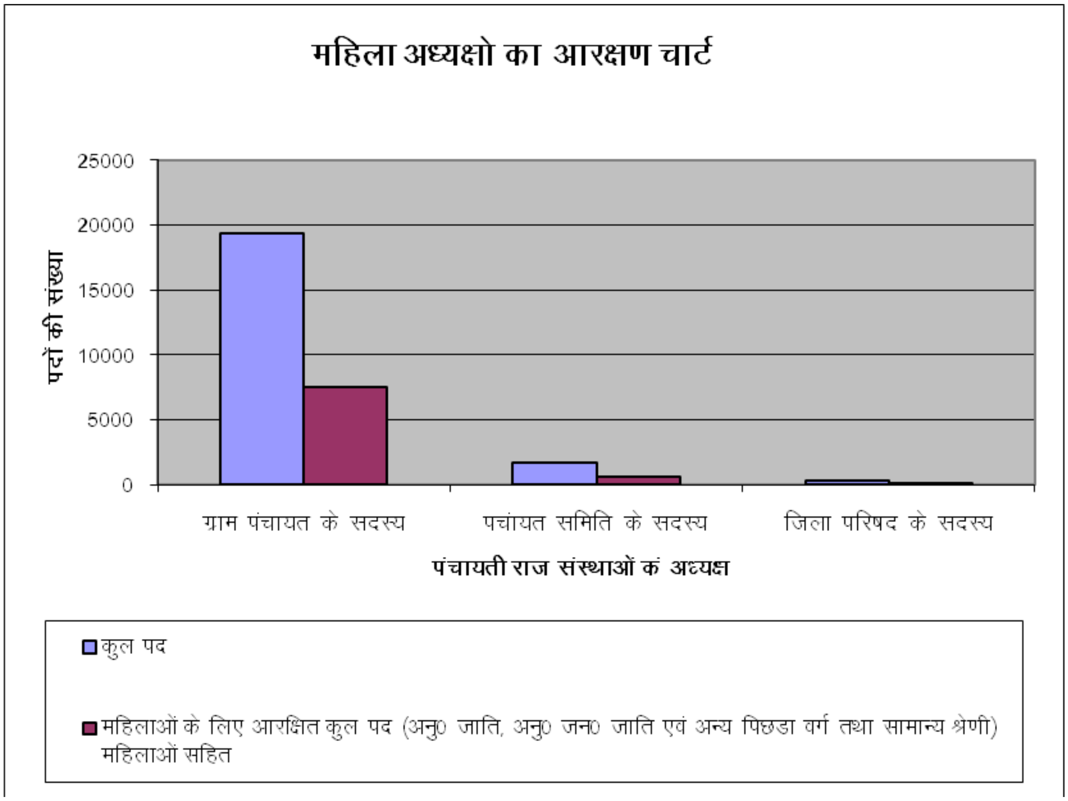
महिला अध्यक्षो का आरक्षण चार्ट
25000
20000
15000
10000
5000
0
पदों की संख्या
ग्राम पंचायत के सदस्य
पचांयत समिति के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
पंचायती राज संस्थाओं क अध्यक्ष
कुल पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

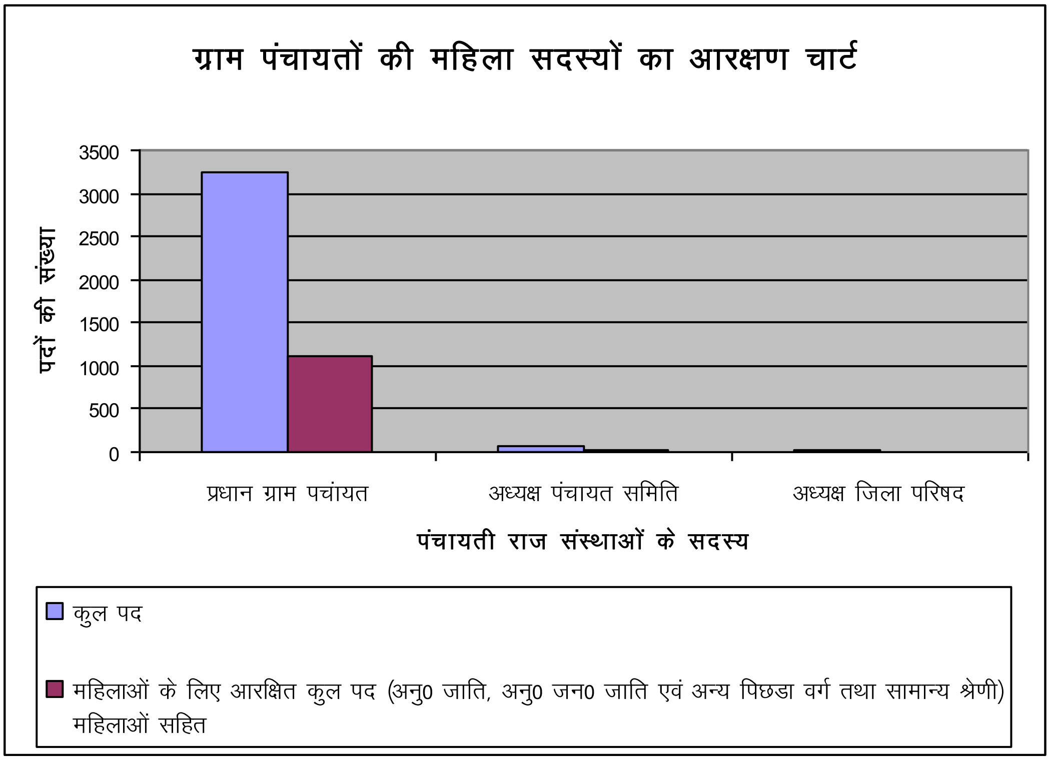
ग्राम पंचायतों की महिला सदस्यों का आरक्षण चार्ट
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
पदों की संख्या
प्रधान ग्राम पचांयत
अध्यक्ष पंचायत समिति
अध्यक्ष जिला परिषद
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य
कुल पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

5. हिमाचल प्रदेश में पचांयती राज का ढांचाः

क :ग्राम सभाः– ग्राम सभा, जो कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल ईकाई है, को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार ने ग्राम सभा को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कारगर कदम उठाए हैं। ग्राम सभा को अपने सदस्यों में से सतर्कता समिति के गठन करने की शक्तियां प्रदान की गई है जो ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यो, योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य सतर्कता समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं है। यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभाएं वर्ष में चार बैठके करेगी जो उनकी विशेष बैठकों के इलावा होगी। ये बैठकें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के प्रथम रविवार को आयोजित होंगी। ग्राम पंचायतों के लेखों को ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखना होगा इसके अतिरिक्त अंकेक्षण आपतियां और उसके जवाब को भी ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू है। विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां ग्राम सभा को प्रदान की गई है।

ख उप ग्राम सभाः–हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक उप ग्राम सभा गठित होगी। उप ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा इसकी अध्यक्षता करने का दायित्व सम्बन्धित वार्ड सदस्य का होगा। उप ग्राम सभा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करके ग्राम सभा तथा ग्राम पचांयत को सिफारिशें करेगी। यह 15 प्रतिशत परिवारों को सामान्य ग्राम सभा के लिए भी नामांकित करेगी जिसमें एक तिहाई महिलाएं होगी। नामांकित किए गए परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवार भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र होगें।

गः ग्राम पंचायतः हमारे प्रदेश में एक गांव या गांवों के समूह, जिसकी जनसंख्या 1000 से लेकर 5000 तक हो, के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाती है। अनुसूचित जनजाति

क्षेत्रों और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में एक हजार से कम जनसंख्या पर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो प्रधान तथा उप–प्रधान को छोड़कर 5 से 13 तक हो सकती है। प्रधान, और सदस्यों का निर्वाचन लोगों द्वारा सीधे मतदान से किया जाता है। जबकि उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

घः पंचायत समितिः तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली मध्य स्तरीय संस्था को प्रदेश में पचांयत समिति कहा जाता है। इस संस्था की सीमाएं विकास खण्ड के समानान्तर है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है जबकि समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। प्रत्येक समिति सदस्य 3500 या उसके भाग की जनसंख्या पर निर्वाचित होता है परन्तु समिति सदस्यों की कम से कम संख्या 15 होगी। पंचायत समिति का अलग से अपना कोई कार्यालय नहीं है और खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय ही समिति के कार्यालय के रूप मे कार्य करता है। खण्ड विकास अधिकारी को समिति का कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नामांकित किया गया है।

ङः जिला परिषदः यह पंचायती राज प्रणाली का सबसे उपर का स्तर है। हमारे प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त नए अधिनियम के लागू होने के पश्चात पहली बार जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 12 जिला परिषदें गठित हैं। जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है जबकि इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। जिला परिषद का प्रत्येक सदस्य 25000 तथा इसके भाग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु जिला परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 10 होगी। लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य (जिस क्षेत्र में वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है) तथा जिले में स्थित पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद

के सदस्य होगें। अतिरिक्त जिलाधीश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी इसके सचिव हैं।

6. **ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रः (Rural Business Hubs):** ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र के परिषद का गठन अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (2) 9/2006 दिनांक 24 जुलाई 2006 के अन्तर्गत किया गया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र परिषद की प्रथम बैठक 6 जनवरी 2007 को हुई थी। उक्त बैठक के अनुसरण में ट्राईफैड, एनसीडीसी, मदर डायरी तथा अदानी ग्रुप को दिनांक 22 मार्च 2007 को पत्रों अनुसार अनुरोध किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ साझेदारी रूप में व्यवसायिक केन्द्र स्थापित करने हेतू 14 चिन्हित गतिविधियों मे से एक या अधिक गतिविधियों या अन्य कोई गतिविधि में रूचि रखते हो के बारे में प्रस्तावना प्रेषित करें।

7. **जिला नियोजन समितिः–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी की आवश्यकतानुसार समस्त जिलों में जिला नियोजन समितियो का गठन किया गया है। जिला नियोजन समितियों को कार्यशील बनाने हेतू राज्य सरकार ने वर्तमान योजना विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय नियोजन समितियों नामतः जिला योजना तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं समीक्षा समिति को समाप्त कर दिया है तथा योजना विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय योजन कक्ष को सम्बन्धित जिला परिषद के अधीन किया है जो जिला नियोजन समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि दो जिलों नामतः चम्बा तथा सिरमौर में पिछडा क्षेत्र अनुदान फण्ड का उपयोग जिला नियोजन समितियों के स्त्रोतों की वृद्धि हेतू किया जाएगा तथा पंचायती राज विभाग को पिछडा क्षेत्र अनुदान फण्ड के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।

8. **अनुसूचित क्षेत्र में PESA प्रावधानः–**

प्रदेश के अनुसूचित (जन जातीय) क्षेत्रों में पंचायतों की स्थितिः–

- जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा चम्बा जिला के दो विकास खण्ड नामतः पांगी व भरमौर अनुसूची–iv के क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।
- राज्य में अनुसूची –v के क्षेत्र में दो जिला परिषद नामतः किन्नौर व लाहौल स्पिति तथा जिला चम्बा की जिला परिषद का एक भाग, 7 पचांयत समितियां नामतः कल्पा, निचार, पूह, लाहौल, स्पिति, भरमौर एवं पांगी तथा 151 ग्राम पंचायतें गठित की गई हेः–

  <u>किन्नौर 65</u>

  1. कल्पा 23
  2. निचार 18
  3. पूह 24

  <u>लाहौल स्पिति 41</u>

  1. लाहौल 28
  2. स्पिति 13

  <u>चम्बा 45</u>

  1. भरमौर 29
  2. पांगी 16

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित– v क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,66,402 है तथा कुल 1423 गांव है जिसमें से 688 रहने योग्य है तथा शेष 735 गांव रहने योग्य नहीं है।
- अनुसूची– v क्षेत्र में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 1102 है यदि प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा गठित की जाती है तो 537 ग्राम सभाओं को गठित करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 241

होगी तथा पंचायत के वार्ड को औसतन 40 से 50 तक की जनसंख्या में परिसीमित करना होगा जिसमें से मतदाताओं की संख्या 25 से 35 तक होगी।

- PESA के प्रावधान के अनुसार अनुसूची– V के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध व्यक्तियों को सदस्यों के पदों पर आरक्षित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने अनुसूची – V क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय व्यक्तियों के लिए पंचात के तीनों स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर 100 प्रतिशत आरक्ष्ज्ञण प्रदान किया है और कुल पदों में से एक तिहाई पदों को जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को आरक्षित किया गया है। जनजोतीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग प्राप्त हुई जो अध्यक्ष के पदों हेतू 15 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक है जो अन्यथा केन्द्रीय अधिनियम से 40 की धारा 4(जी) के अन्तर्गत वर्जित है। राज्य में यह समस्या विशेष रूप से जिला किन्नौर में आई क्योंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अन्दर अनुसूचित जाति, जनसंख्या रहती है जनसंख्या का यह अंश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की हैसियत का लाभ उठा रहा है।

अध्याय–2

विभाग का प्रमुख कार्य

विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन तथा ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन का कार्य किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये कार्यो के निरीक्षण के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये अनुदान, ऋण व व्यय पर वित्तीय नियन्त्रण रखता है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं को हल करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि अधिनियम व नियम के प्रावधानों का पालन किया जाए तथा विभाग नव–निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता हैं

अध्याय–3

पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक ढांचा

यह विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री के अधीन है तथा राज्य स्तर पर सचिव (पंचायत) इसके प्रमुख हैं, जिनके सहायतार्थ निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायत) और उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं। विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का विवरण 31–3–2007 को निम्न अनुसार हैः–

श्रेणी	**पद का नाम**	**सृजित पद**	**भरे गए पद**	**रिक्त पद**
राजपत्रित (श्रेणी–1)	1 निदेशक (आई0ए0एस0)	1	1	-
	2 संयुक्त/अतिरिक्त उप–निदेशक हि0प्र0से0	1		1
	3 उप–निदेशक, पंचायती राज	1	1	-
	4 उप–नियन्त्रक	1	1	-
	5 अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	-
	6 निजी सचिव, विभागाध्यक्ष	1	-	1
	7 जिला पंचायत अधिकारी	12	10	2
	8 प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।	2	2	-
	9. विधि अधिकारी			

		1	1	-
अराजपत्रित (श्रेणी–11)	1 अधीक्षक ग्रेड–11 2 सम्पादक 3जिला अंकेक्षण अधिकारी/प्रशिक्षक 4 निजी सहायक	13 1 19 1	10 1 16 1	3 - 3 -
अराजपत्रित (श्रेणी–111)	1 वरिष्ठ सहायक 2 वरिष्ठ आशुलिपिक 3 कनिष्ठ आशुलिपिक 4 आशुटंकक 5 पंचायत निरीक्षक 6 अंकेक्षक पंचायत 7 उप निरीक्षक पंचायत 8 लिपिक 9 चालक	10 12 2 - 75 88 75 67 20	10 10 1 - 61 86 66 55 14	- 2 1 यह पद दिसम्बर 2006 से रिक्त है 14 2 9 12 6
अराजपत्रित (श्रेणी–iv)	1 यन्त्रचालक 2 दफतरी 3 जमादार 4 चपड़ासी 5 चौकीदार 6 बावर्ची 7 सफाईकर्ता	1 1 1 60 11 2 1	1 1 1 40 11 2 1	- - - 20 - - -
	कुल	**481**	**405**	**76**

अध्याय–4

पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विर्निष्ट शक्तियों तथा कार्यो :

- कुछ पदाधिकारियों, जैसे कि चपरासी, वैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिचांई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरानी, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक, पंचायत सचिव इत्यादि द्वारा अवचार के सम्बन्ध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं।

- ग्राम पंचायतों को, भारतीय दण्ड संहिता, टीका अधिनियम, 1880, पशु अतिचार अधिनियम, 1871, हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेद्ध अधिनियम, 1952, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867, तथा दण्ड प्रक्रिया संहित, की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई की शक्ति भी प्रदान की गई है।

- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट के अनुमोदन की शक्ति प्रदान करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों, गत वित वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गत अंकेक्षण पत्र के उतर यदि कोई हो पर विचार एवं उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।

- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये योजनाओां, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा यह भी अधिकृत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रम के कियान्वयन के संतुष्ट होने पर उन पर व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र को जारी करें।

- ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के निरीक्षण के लिए ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है इससे सम्बन्धित रिपोर्ट इसकी बैठक में रखी जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।

- ग्राम पंचायत 5 लाख रूपये तक की राशि तक के विकास कार्य कार्यान्वित कर सकती हैं।

- ग्राम पंचायतों को 3 लाख रूपये तक की लागत के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतू अधिकृत किया गया जिस हेतू कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है फिर 50,000 रू0 तक की लागत के कार्य की तकनीकी स्वीकृति तकनीकी सहायक से ली जानी है। यदि कार्य की लागत 3 लाख से और 10 लाख तक है तो प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत समिति तथा तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता से प्राप्त की जानी आवश्यक है तथा यदि कार्य की 10 लाख से अधिक है। प्रशासकीय स्वीकृति जिला परिषद से, तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता से ली जानी आवश्यक है।

- ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष चार साधारण बैठकें होंगी जिसके लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर के पहले रविवार को पूर्व निश्चित दिवस रखा गया है।

- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में उप ग्राम सभा गठित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र के उस वार्ड के सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

- तीनों स्तरों पर पचांयतों को स्थायी समितियां गठित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

- तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को, आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के लिए बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उधार लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई है यदि परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वितीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई हो। हालांकि ग्राम पंचायतों को उधार लेने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

- ग्राम पंचायतों को लोक सम्पति, जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक

कुओं, पम्पों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों, के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में उल्लंघन होने पर ग्राम पंचायतें 1000/– रू0 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकती है और यदि उल्लंघ्न जारी रहता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी प्रावधान है जो कि कुल मिला कर 5000/– रू0 तक की हो सकती है।

- ग्राम पचांयतों को कर, फीस, दण्ड तथा सेस आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

- यह अनिवार्य किया गया कि कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें।

- पंचायतों द्वारा आरोपित किये जाने वाले विभिन्न दण्ड तथा जुर्माने की दरों को बढ़ाया गया है।

(ख) समय–समय पर कार्यकारी आदेशों द्वारा हस्तांतरित शक्तियां एवं कार्यः

प्रजातंत्र को तृणमूल स्तर पर सुदृढ़ करने तथा पचांयती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी स्वशासन निकाय बनाने हेतु राज्य सरकार ने 15 विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक एवं महिला कल्याण के कार्य शक्तियां एवं दायित्व 31 जुलाई, 1996 को इन संस्थाओं को सौंपे गये हैं जिसके अन्तर्गत संविधान को 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 में से 27 विषय लिये गये है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों द्वारा पचांयती राज संस्थाओं को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैः–

1 ग्राम पंचायतों द्वारा सूक्ष्म स्तरीय योजना को बनाना।
2 सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था के स्थान चयन को निर्धारित करने की शक्तियां
3 ग्राम स्तर के कर्मचारियों के कार्य एवं उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां।
4 ग्राम स्तर की विभागीय समिति का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित स्थाई समितियों में एकीकरण।
5 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

6 पचांयती राज संस्थाओं को आयुर्वैदिक, एलोपैथिक तथा पशुपालन विभाग के डाक्टरों, स्कूल अध्यापकों, पटवारियों तथा वन रक्षकों की तैनाती स्थान पर उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

7 जिला परिषद के अध्यक्षों को अपनी–2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

8 कांटों द्वारा मछली पकड़ने से सम्बन्धी परमिट जारी करने हेतू ग्राम पचांयतों के प्रधान या उप प्रधान को अधिकृत किया गया है तथा व्यवसायिक मछवारों को सामान्य तथा ट्राऊट मछलियों का परमिट जारी करने हेतू पचांयत समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है एवं इससे प्राप्त फीस सम्बन्धित पंचायतों के निधि का भाग होगी।

9 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 1/– रू0 प्रति बोतल की दर से सैस एकत्रित करके एकत्रित राशि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरति करने का निर्णय लिया गया है और इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें विकासात्मक कार्यो के लिए करेंगी।

10 खनिज तथा खनन हेतु पट्टा जारी करने से पूर्व तथा खनिज पर आधारित इकाई को स्थापित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अनिवार्य बनाया गया है।

11 जिला परिषद को ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के प्रति, अनुबन्ध के आधार पर, सहायक अभियन्ता नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है।

12 पंचायत समितियों को विकास खण्ड में लिपिक/आशुटंकक के रिक्त पदों के स्थान पर कनिष्ठ लेखापाल को नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।

13 ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अर्थात् पचांयत चौकीदार, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायक, स्कूलों के जलवाहक, पैरा अध्यापक इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पचांयतों को सौंपा गया है।

14 प्राथमिक पाठशाला भवनों के स्वामित्व तथा इनके रख–रखाव तथा मुरम्मत की जिम्मेवारी भी ग्राम पचांयतों को सौपी गई है।

15 जिला परिषद को जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति को खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी कार्यो के निरीक्षण, भूमिहीन तथा आवासहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता करने, सरकारी भूमि के लिए नीति निर्धारित करने एवं ऐसी भूमि के बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्राधिकृत किया गया है।

16 भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है तथा ग्राम पंचायतें एकत्रित भू–राजस्व को अपने स्तर पर प्रयोग करेंगी।

17 खनिज पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा किसी क्षेत्र को लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। ग्राम पंचायत को व्यक्तिगत प्रयोग हेतू रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेटों के खनन के परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

18 हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद पारगमन (Land routs) 1978 के नियम 11 के उद्धेश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के प्रधानों को वन अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उन 37 मदों में से वन से एकत्रित लघु उत्पाद के पारगमन हेतु पास जारी करेंगे।

ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनः

1. सरकार से अनुदान
2. गृह कर
3. रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने हेतु कर
4. ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री पर उपकर (1 रूपया प्रति बोतल)
5. भू–राजस्व
6. 1 प्रतिशत फुटकर व्यय
7. व्याज से आय
8. दुकानदारों से तहबाजारी
9. सेवा शुल्क
10. अपनी परिसम्पति जैसे दुकान एवं बागीचे से आय
11. मत्स्य आरबेट (फिशिंग) हेतु लाइसेंस फीस
12. लघु वन उपज हेतु परमिट फीस

(ग) पंचायतों द्वारा कर व फीस का अधिरोपणः

वर्तमान में जिला परिषदें व पंचायत समितियों द्वारा कर, फीस व उपकर अधिरोपित नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा 2 नवम्बर, 1999 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा की दर के अधीन ग्राम पंचायतों को निम्न कर व फीस लगाने हेतु अधिकृत किया गया हैः–

(i) गृह करः

क्र0 सं0	विवरण	गृह कर की अधिकतम सीमा
1	जहां व्यक्ति का अपना घर 40 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है	मु0 10 रू0 प्रति वर्ष
2	जहां व्यक्ति का अपना घर 40 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में	मु0 25 रू0 प्रति वर्ष

	बना है	
3	जहां व्यक्ति का अपना घर 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है	मु0 50 रू0 प्रति वर्ष

(ii) रेत, पत्थर, बजरी व स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने पर टैक्सः

(क) रेत, पत्थर तथा बजरी को निकालने हेतु अधिकतम कर 10 रूपये प्रति ट्रक तथा 5 रूपये प्रति ट्रॉली।

(ख) स्लेट को निकालने हेतु अधिकतम कर मु0 50 रूपये प्रति ट्रक।

(iii) फीसः

(क) मेले में दुकानदारों से तहबाजारी उन दरों पर जैसे पंचायत ठीक समझे जिसकी अधिकतम सीमा 30 रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) सेवा शुल्क जिसमें गलियों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु शुल्क शामिल हैं, ग्राम पंचायतें ऐसी दरों पर लगा सकती है। जैसा वह ठीक समझे परन्तु इसकी अधिकतम सीमा उन व्यक्तियों/परिवारों/दुकानदारों/व्यापारिक संस्थानों जिन्हें पंचायत द्वारा यह सेवाएं प्रदान की जा रही है, 20 रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) ग्राम पचांयत जैसा ठीक समझे ऐसी दरों पर ग्राम सभा क्षेत्र में पशुओं के पंजीकरण हेतु शुल्क लगा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा विक्रय मूल्य से 2 प्रतिशत से अधिक न हो।

वर्तमान में पंचायतें एक ही दर पर गृह कर एकत्र कर रही हैं न कि निर्मित भवन के क्षेत्र के हिसाब से, औसतन गृह कर 10 से 15 रूपये प्रति वर्ष लिया जाता है इसके अतिरिक्त बहुत कम पचांयतें ऐसी हैं जो रेत, पत्थर, बजरी व स्लेट पर कर अधिरोपित करती है क्योंकि ये प्रत्येक पंचायत से बाहर नहीं भेजी जाती है। तहबाजारी उन पचांयतों में एकत्रित की जाती है जिनके क्षेत्र में मेले आयोजित किये जाते है।

(घ) मोबाईल संचार सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्कः–

सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मोबाईल सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्क आरोपित करने हेतू अधिकृत किया गया है।

मोबाईल टावर पर 4000/– रू0 प्रति टावर की दर से लगाने की फीस तथा 2000/– रू0 प्रति वर्ष नवीनीकरण फीस निम्न शर्तो अनुसार होगीः–

1. नवीनीरकण राशि की अदायगी एक मुशत में करने का विकल्प (सम्पूर्ण राशि की अदायगी पर 40 प्रतिशत छूट जिसमें पांच वर्ष की नवीनीकरण राशि भी सम्मिलित है)।
2. प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण फीस में 25 प्रतिशत बढौतरी होगी।
3. एक ही टावर में प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि आरोपित की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेयः–

हिमाचल प्रदेश देश का शायद पहला राज्य है जहां पंचायती राज सस्थाओं के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में अध्यक्ष, जिला परिषद को 3000/– रूपये प्रतिमास, उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 2000/– रूपये प्रतिमास, तथा जिला परिषद सदस्यों को 1350/– रूपये प्रतिमास, उ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों पंचायत समिति को क्रमशः 1550/–, 1200/– तथा 1000/– रू0 प्रतिमास प्रदान किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान, 1000/– रूपये प्रतिमास, उप–प्रधान, ग्राम पचांयत को 750/– रूपये प्रतिमास, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों को 125/– रूपये प्रति बैठक की दर से (मास में अधिकतम दो बैठकों के लिए) मानदेय प्रदान किया जाता है।

पंचायती राज पदाधिकारियों की मानदेय अदायगी पर वार्षिक व्ययः–

राशि लाखों में

क0सं0	विवरण	कुल पद	कुल व्यय
1	अध्यक्ष जिला परिषद	12	4.32
2	उपाध्यक्ष जिला परिषद	12	2.88
3	सदस्य जिला परिषद	227	36.77
4	अध्यक्ष पंचायत समिति	75	13.95

5	उपाध्यक्ष पचांयत समिति	75	10.80
6	सदस्य पंचायत समिति	1526	183.12
7	प्रधान ग्राम पंचायत	3243	389.16
8	उप प्रधान ग्राम पंचायत	3243	291.87
9	सदस्य ग्राम पंचायत	16168	485.04
	कुल		1417.91

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तथा पारदर्शिताः

प्राथमिक स्तर की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और इन संस्थाओं के दैनिक कार्यो में पारदर्शिता इत्यादि लाने के उद्वेश्य से सूचना की पहुंच, प्रचार, जबाब देही तथा लोक कार्य को तत्काल निपटाने इत्यादि के अनुदेश जारी किए गए है। यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत का प्रत्येक मतदाता पचांयत के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपियां भी नाममात्र शुल्क अदा करके प्राप्त कर सकता है। स्थाई तथा अस्थाई सूचनाएं, लाभार्थियों की सूची, योजनाओं का विवरण, स्वीकृत धनराशि सहित, पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव की उपस्थिति का सत्यापन सम्बन्धित पचांयत के प्रधान द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारी वर्गः

पंचायतों द्वारा विकास कार्यों को क्रियान्वित करने तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक का पैनल तैयार किया जाएगा तथा खण्ड स्तर पर प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक होगा। ग्राम पंचायतें पैनल में से किसी तकनीकी सहायक की सेवाएं प्रत्येक कार्य के लिए प्राप्त कर सकती है। तकनीकी सहायक को प्रत्येक कार्य की कुल लागत का 2

प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में अदा किया जाएगा। पचांयत समिति व जिला परिषद को क्रमशः कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है जिसका चयन, समिति द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को क्रमशः 6000 रूपये (गैर जनजातीय क्षेत्र), 7500 रूपय जनजातीय क्षेत्र तथा 8000 रूपये मासिक पारिश्रमिक सम्बन्धित पचांयत द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त तकनीकी कर्मचारी वर्ग को सम्बन्धित पंचायत के नियन्त्रण में रखा जाता हैं नियुक्ति किये गए कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

क्र0 सं0	जिले का नाम	सहायक अभियन्ता के स्वीकृत पद	कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद
1	शिमला	1	22
2	सोलन	—	7
3	सिरमौर	—	13
4	किन्नौर	2	5
5	कुल्लू	—	9
6	लाहौल स्पिति	1	4
7	मण्डी	—	18
8	चम्बा	—	17
9	कांगडा	—	28
10	हमीरपुर	—	7
11	बिलासपुर	—	5
12	ऊना	—	12
	कुल	4	147

पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग:

वर्तमान में 1025 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव नियुक्त हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं 2084 ग्राम पंचायतों को पचांयत सहायक नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है और उनकी सेंवाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अधीन रखी गई है। इन्हें ग्राम पचांयत के कार्यालय में 3 घण्टे कार्य करने के लिए 600 रूपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिसूचित की गई योजना के अन्तर्गत पंचायत सहायकों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा उतीर्ण करने पर अभ्यर्थी पचांयत सहायक की नियुक्ति हेतु पात्र होगा तथा प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें 1000 रूपये मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका की अनुबन्ध पर नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है। इन्हें 700 रूपये प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पचांयत चौकीदार नियुक्त किया गया है जिसे 500 रूपये प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक के भुगतान की राशि के व्यय को राज्य सरकार तथा सम्बन्धित पचांयत द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुवन्ध के आधार पर नियुक्त किये गए कर्मचारियों का पारिश्रमिक पर वार्षिक व्यय:

पद	शिमला	सोलन	सिरमौर	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल स्पिति	मण्डी	चम्बा	कांगड़ा	हमीरपुर	बिलासपुर	ऊना	कुल वार्षिक व्यय
कनिष्ठ अभियन्ता	22	7	13	5	9	4	18	17	28	7	5	12	108.00
सहायक	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3.84

अभियन्ता													
सिलाई अध्यापिका	310	192	213	60	177	39	374	259	698	204	126	213	240.66
पंचायत सहायक	229	138	167	49	135	30	322	224	457	133	104	160	154.65
पंचायत चौकीदार	363	211	228	65	204	41	473	283	760	229	151	235	194.58
कनिष्ठ सहायक	2	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	3.00
निजी सहायक	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.96
कुल													708.69

अंकेक्षण:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की धारा (1) में प्रावधान है कि पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के निदेशक के नियन्त्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतन्त्र संपरीक्षा अभिकरण होगा, तथा वर्तमान में पचायतों के आय–व्यय पर उचित वित्तीय नियन्त्रण के लिए मुख्यालय में उप नियन्त्रक (अंकेक्षण), जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा प्रत्येक जिले में एक जिला अंकेक्षण अधिकारी नियुक्त है। जिला अंकेक्षण अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी के नियन्त्रण में रखे गये हैं तथा हर जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात में पंचायत अंकेक्षक नियुक्त है। एक अंकेक्षक 35 ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण हेतु कार्यरत है।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का हर वित्तीय वर्ष में एक बार अंकेक्षण करवाया जाता है। जिला परिषदों का अंकेक्षण उप नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज करते है। पंचायत समितियों का अंकेक्षण जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण पंचायत अंकेक्षक करते है। इसके अतिरिक्त जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा जिला में 10 प्रतिशत पंचायतों का टेस्ट अंकेक्षण भी किया जाता है। उन ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों जहां पर सभा निधि या समिति निधि में गबन के गम्भीर मामलों में पुनः अंकेक्षण करवाने की भी व्यवस्था है। वर्तमान मे ं3243 ग्राम पंचायते है परन्तु वर्ष 2006—07 में 3037 ग्राम पचांयतों के अंकेक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था क्योकि वर्ष 2005—06 मे ं206 नई ग्राम पचांयतें गठित की गई जिनका अंकेक्षण 1—4—2007 से किया जाएगा।

ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों का 1—4—2006 से 31—3—2007 तक किये गए अंकेक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः—

क्र0 सं0	जिला का नाम	जिला परिषदों की संख्या		पचांयत समितियों की संख्या		ग्राम पचांयतों की संख्या	
		कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित
1.	लाहौल स्पिति	1	1	2	2	41	27
2.	किन्नौर	1	1	3	3	62	40
3.	शिमला	1	1	9	3	331	230
4.	सोलन	1	1	5	5	198	186
5.	सिरमौर	1	1	6	5	219	154
6.	बिलासपुर	1	1	3	3	136	117
7.	मण्डी	1	1	10	10	422	422
8.	कुल्लू	1	1	5	4	192	192
9.	ऊनां	1	1	5	5	219	175
10.	हमीरपुर	1	1	6	1	215	204
11.	कांगड़ा	1	1	14	7	732	731
12.	चम्बा	1	1	7	3	270	226
	कुल	**12**	**12**	**75**	**49**	**3037**	**2704**

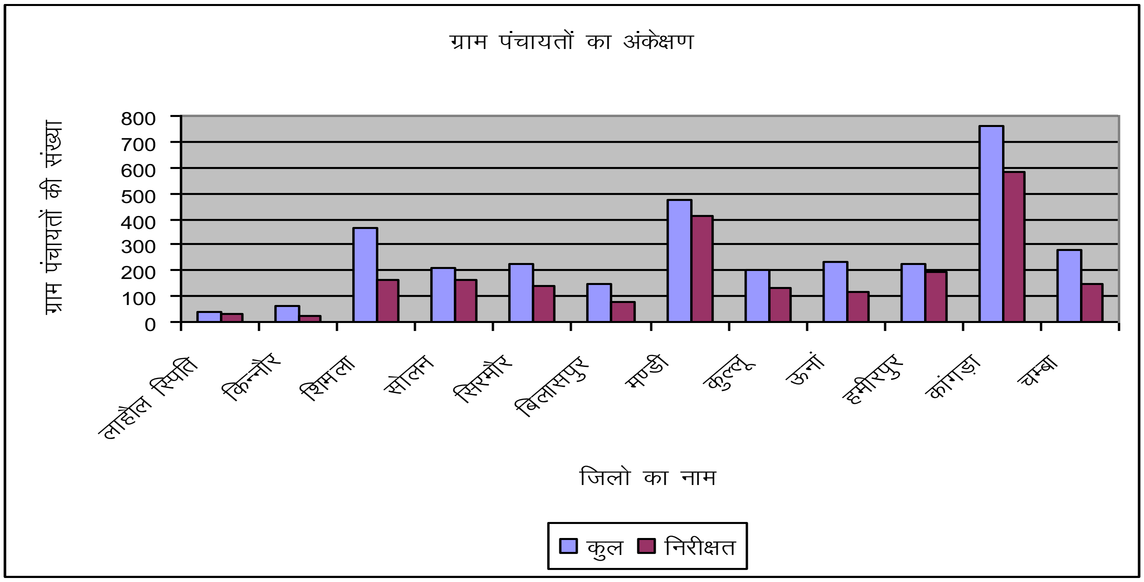

निरीक्षणः

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों को निरीक्षण पंचायत निरीक्षकों द्वारा तथा पंचायत समितियों का निरीक्षण जिला पंचायत अधिकारियों या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1–4–2006 में 31–3–2007 तक निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	जिला का नाम	ग्राम पचायत की संख्या	
		कुल	निरीक्षत
1.	लाहौल स्पिति	41	34
2.	किन्नौर	65	27
3.	शिमला	363	163
4.	सोलन	211	164
5.	सिरमौर	228	141
6.	बिलासपुर	151	78
7.	मण्डी	473	413
8.	कुल्लू	204	131

9.	ऊनां	235	120
10.	हमीरपुर	229	193
11.	कांगड़ा	760	584
12.	चम्बा	283	145
	कुल	3243	2193

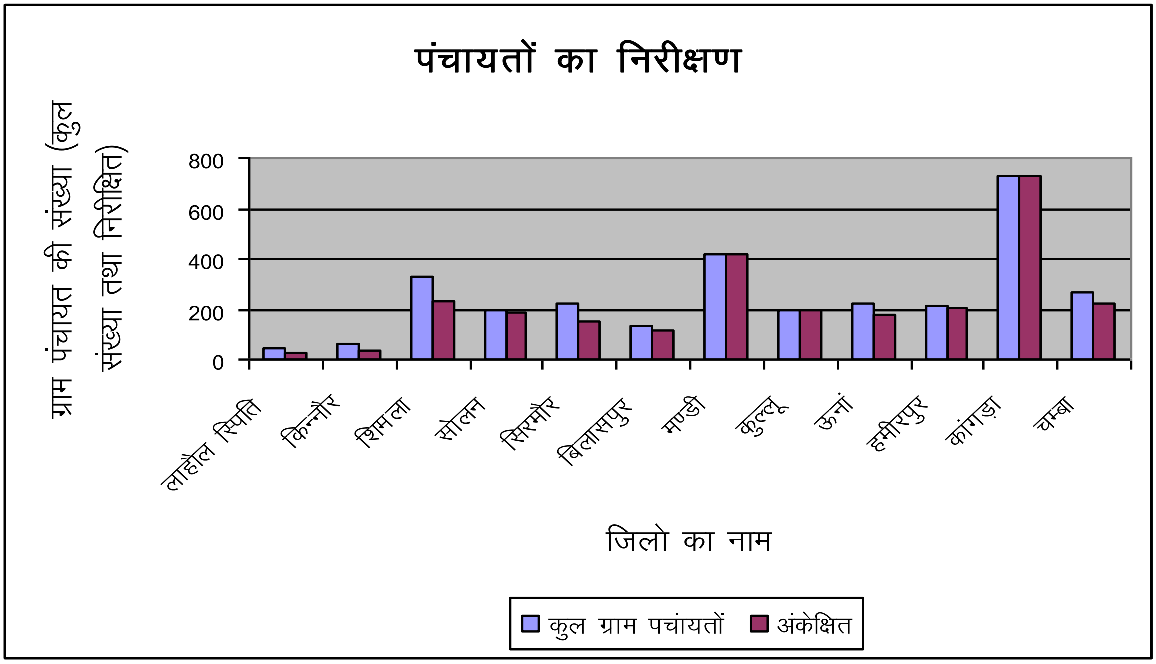

अध्याय–5

प्रशिक्षण

किसी भी संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानव संसाधन विकास किया जाना अनिवार्य है इस उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु पचायंती राज पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु विभाग में दो प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा (शिमला) तथा बैजनाथ (कांगड़ा) में स्थित है। प्रशिक्षण के उद्वेश्य निम्नलिखित है:–

1 अधिनियम व नियम जानकारी उपलब्ध करवाना।

2 पंचायती राज पदाधिकारियों को अभिलेखों एवं लेखाओं की प्रक्रिया से अवगत करवाना।

3 ग्राम पंचायतों को न्यायिक कार्य व रिकार्ड की संधारण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना।

4 स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

5 पंचायती राज पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं से अवगत करवाना।

कर्मचारी वर्ग:– पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा तथा बैजनाथ में एक पद प्राचार्य, दो पद प्रशिक्षक, दो पद लिपिक, दो पद सेवादार तथा एक पद बावर्ची का प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र मे स्वीकृत है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में आधारभूत ढांचा:–

1. प्रतिभागियों हेतू छात्रावास सुविधा के साथ–साथ भोजनालय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास भवन में 10 कमरे है तथा प्रत्येक कमरे में 5 बैड है तथा इस प्रकार से 50 प्रतिभागियों की एक बार में रहने की क्षमता है।
2. एक बडा प्रशिक्षण/कॉनफ्रेंस हाल प्रशिक्षण तथा कार्यशाला के आयोजन हेतू उपलब्ध है जिसमें एक बार में 60 प्रतिभागियों के बैठने की क्षमता है। एक कम्पयूटर लेब की भी स्थापना की गई है।

3. अतिथि विशेषज्ञ के लिए 6 सेटों का कार्य निर्माण अधीन हैं
4. महिला छात्रावास का पृथक से निर्माण किया जा रहा है जिसमें 25 से 30 प्रतिभागी एक वार ठहरने की क्षमता है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ में आधारभूत ढांचाः—

1. प्रतिभागियों हेतू छात्रावास सुविधा के साथ—साथ भोजनालय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास भवन में दो शयनकक्ष है प्रत्येक शयनकक्ष में 20 बैड है तथा इस प्रकार से 40 प्रतिभागियों की एक बार में ठहरने की क्षमता है।
2. एक प्रशिक्षण हाल है जिसमें प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तथा जिसमें 40 प्रतिभागियों की एक बार बैठने की क्षमता है।

अन्य सुविधाएंः—

इन संस्थानों में लाइब्रेरी की सुविधा के साथ—साथ ऑडियों विजवल (एलसीडी, कम्पयूटर) है। इन संस्थानों में पंचायती राज पदाधिकारियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियेां जैसे पंचायत निरीक्षक, अंकेक्षक एवं ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभागीय परीक्षाओं को भी उर्तीण करना होता है।

वर्ष 2006—07 में पंचायती राज संस्थान मशोबरा तथा बैजनाथ के अतिरिक्त पंचायती राज पदाधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वर्ष 2006—07 में कुल 6486 प्रधान/उपप्रधान में से 6463 प्रधान/उपप्रधान (99.7 प्रतिशत) 1676 पंचायत समिति सदस्यों में से 459 (27.38 प्रतिशत) 251 जिला परिषद सदस्य में से 204 (81.27 प्रतिशत) सदस्यों को प्रशिक्षण पदान किया गया है।

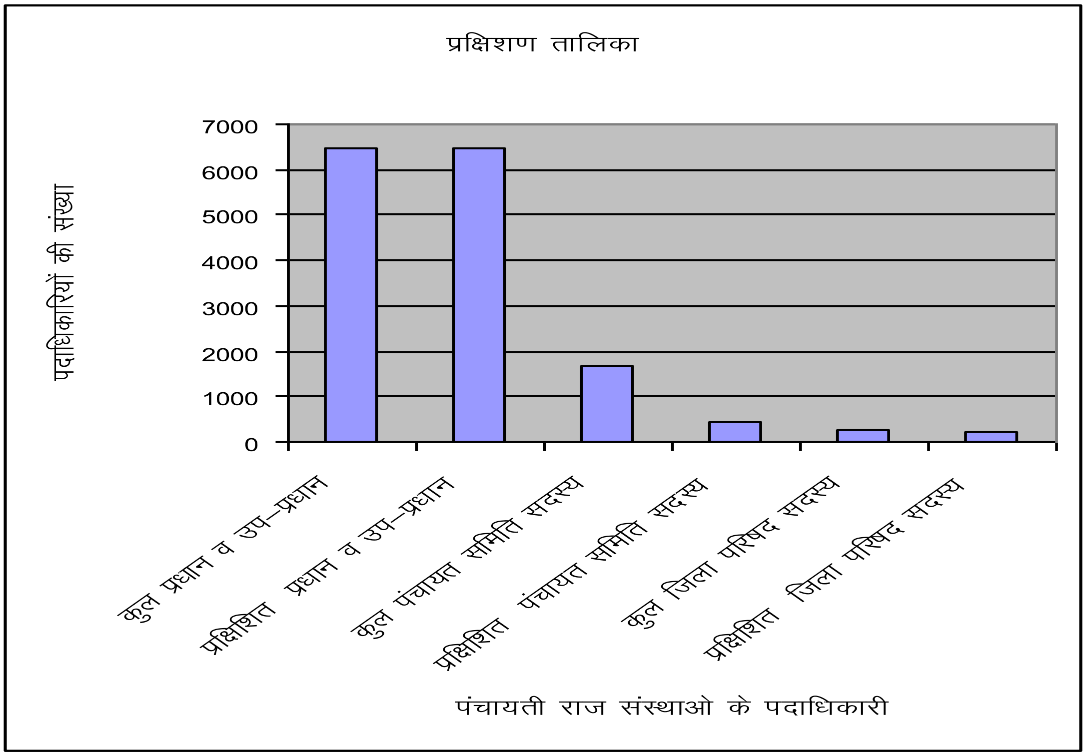
प्रक्षिशण तालिका
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
पदाधिकारियों की संख्या
कुल प्रधान व उप–प्रधान
प्रक्षिशित प्रधान व उप–प्रधान
कुल पंचायत समिति सदस्य
प्रक्षिशित पंचायत समिति सदस्य
कुल जिला परिषद सदस्य
प्रक्षिशित जिला परिषद सदस्य
पंचायती राज संस्थाओ के पदाधिकारी

अध्याय–6

पंचायत भवन

पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्वेश्य से हर जिला मुख्यालय पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है तथा जिला उना को छोड़कर शेष सभी जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। राज्य स्तरीय पंचायत भवन शिमला में निर्मित है, जिसका नियन्त्रण राज्य स्तरीय प्रबन्धक समिति के अधीन रखा गया है, जिसके अधीन एक कार्यकारी समिति भी गठित है जो पंचायत भवन के वार्षिक आय–व्यय के साथ–साथ पंचायत भवन के सुचारू संचालन के कार्यवाही योजना का अनुमोदन करती है। प्रबन्धत समिति की बैठके आवश्यकता अनुसार की जाती है और पंचायत भवन के कार्य संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उप–विधियों भी बनाई गई है।

जिला परिषद भवनः– 73वें संविधान संशोधन तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पचांयती राज प्रणाली की स्थापना की गई तथा जिला परिषदें प्रथम वार 1996 में आस्तित्व में आई। जिला परिषद कार्यालय भवनों हेतू उचित बजट प्रावधान किया गया। जिला परिषद बिलासपुर, कांगडा, सिरमौर सोलन, हमीरपुर, कुल्लू तथा मण्डी के भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उन्होंने अपने भवनों में कार्य करना शुरू कर दिया है । जिला परिषद चम्बा, ऊना तथा किन्नौर के कार्यालय भवनों का कार्य प्रगति पर है। जिला परिषद शिमला तथा लाहौल–स्पिति के भवनों का कार्य अभी शुरू किया जाना है। जिन जिला परिषद भवनों का कार्य प्रगति पर है व अभी शुरू किया जाना है वे अन्य सरकारी भवनों में अपना कार्यालय का कार्य कर रहे है।

अध्याय–7

क. फण्ड

वार्षिक योजना 2007–12 का प्रारूप योजना विभाग की स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2006–07 के लिए विभाग की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	विवरण	योजना (रूपये लाखों में)	
		वर्ष 2006–2007 के लिए प्रवधान	31–3–2007 तक व्यय
1.	पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण सम्मेलन, प्रशिक्षण सामग्री के मुद्रण, नई पंचायतों के गठन तथा मनोरंजन एवं आतिथ्य इत्यादि हेतू सहायता।	120.03	120.03
2.	जिला कुल्लू में पारम्परिक जल स्त्रोतों हेतू अनुदान।	100.00	
3.	पंचायत घरों के रख रखाव एवं विस्तार तथा आर0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र।	50.00	50.00
4.	निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को पुरस्कार ।	662.50 जनजातीय82.50	745.00
5.	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सहायता।	70.00	70.00
6.	ग्राम पंचायतों को ऋण।	11.00	11.00
7.	जिला पंचायत अधिकारी/प्राचार्य प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवास निर्माण।	120.00	120.00
8.	पंचायती राज संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण।	449.95 जनजातीय53.00	502.95
9.	12वें वित्तायोग के अन्तर्गत पचांयती राज संस्थाओं को अनुदान।	2556.83 जनजातीय83.17	2940.00

10.	निर्वाचित पदाधिकारियों/अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारियों को मानदेय/पंचायत चौकीदार का वेतन/ ग्राम पंचायतों, पचांयत समिति तथा जिला परिषद के कार्यालय व्यय एवं गिरीराज साप्ताहिक।	2213.30 जनजातीय156.68	2369.00
11.	कार्यालय भवनों का रख–रखाव।	10.00	10.00
12.	वहन क्रय करने हेतू अनुदान।	28.38	28.38
	कुलः	**7067.34**	**6967.34**

ख. निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के पचांयत घरों के निर्माण हेतू स्वीकृत राशियां:–

वर्ष 2006–07 के दौरान पंचायतों को प्रदान की गई राशिः

(रूपये लाखों में)

क्र0सं0	जिले का नाम	पंचायतों की संख्या	प्राप्त राशि
1	ऊना	3	7.50
2	चम्बा	3	7.50
3	सोलन	3	7.50
4	सिरमौर	5	12.50
5	कांगडा	5	12.50
6	कुल्लू	2	5.00
7	मण्डी	13	32.50
8	हमीरपुर	5	12.50
9	शिमला	20	50.00
	कुल	**59**	**147.50**

ग. वर्ष 2006–07 के लिए सामान्य बजट के अन्तर्गत पंचायत घरों के निर्माण तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत पंचायतों को स्वीकृत राशियां:–

(रूपये लाखों में)

क्र0सं0	जिले का नाम	पंचायतों की संख्या	प्राप्त राशि
1	बिलासपुर	15	30.00
2	ऊना	8	16.00
3	चम्बा	10	20.00
4	सोलन	7	14.00
5	सिरमौर	9	18.00
6	कांगडा	46	92.00
7	कुल्लू	13	26.00
8	मण्डी	32	64.00
9	हमीरपुर	10	20.00
10	शिमला	58	116.00
	कुल	**210**	**420.00**

10. सूचना का अधिकार अधिनियम:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:–

राज्य स्तरीय:

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	श्री केवल शर्मा उप निदेशक	लोक सूचना अधिकारी
2	श्री जे0एल0कन्नान उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)	सहायक लोक सूचना अधिकारी
3	श्री डी0एस0 नेगी संयुक्त निदेशक	अपील प्राधिकारी

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	प्राचार्य	अपील प्राधिकारी
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक	लोक सूचना अधिकारी
3	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	सहायक लोक सूचना अधिकारी

जिला स्तरीयः

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अधीक्षक जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय	सहायक लोक सूचना अधिकारी
2	जिला अंकेक्षण अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी
3	जिला पचांयत अधिकारी	अपील प्राधिकारी

खण्ड स्तरीयः

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	उप निरीक्षक (पंचायत)	सहायक लोक सूचना अधिकारी
2	निरीक्षक (पंचायत)	लोक सूचना अधिकारी
3	कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति	अपील प्राधिकारी

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hppanchayat.nic.in में उपलब्ध है।